EDN-HE (21) F (10) 12/2017-Janmanch-
Directorate of Higher Education
Himachal Pradesh, Shimla-1
E-mail: dhe-sml-hp@gov.in & genbr@rediffmail.com

Dated: Shimla-171001 the Dec, 2019

From: The Director of Higher Education
Himachal Pradesh

To

1 All the Principals, Govt. Degree Colleges/Skt. Colleges, in Himachal Pradesh.
2 All the Deputy Directors of Higher Education, in Himachal Pradesh.
3 All the Principals/ Headmasters, G.S.S.S. /G.H.S. in Himachal Pradesh.

Subject: - Notification

Memo:

Please find enclosed herewith a copy of letter Number-RD-(F) 4-1/2018-Loose dated: 27.11.2019 received from the Under Secretary (Rural Development) to the Government of Himachal Pradesh, ordered by Secretary (Rural Development) to the Government of Himachal Pradesh on the subject cited above.

In this connection, you are hereby directed to go through the notification, notified by the Government and take appropriate action in the matter accordingly and send the action taken report to this Office, so that the A.D. can be appraised in the matter accordingly. The action in the matter may be taken on top-priority basis. Any laxity in the matter will be viewed seriously and action as warranted under CCS/CCA Rules will be initiated against the defaulters.

This may be treated as most urgent.

sd/
(Dr. Pramod Chauhan)
Joint Director of Higher Education (C)
Himachal Pradesh,Shimla-01

Endst. No. EDN-H-(21) F (10)12/2017-Janmanch- dated Dec. 2019
Copy for information to:-

1. The Secretary, Rural Development, Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2 w.r.t. Letter No. RD-(F) 4-1/2018 Loose dated: 27-11-2019.
2. All the Branch Officers/Superintendents, Directorate of Higher Education, Himachal Pradesh, Shimla-1 are requested to take appropriate action in the matter accordingly.
3. The Superintendent (Computer/IT Cell), Directorate of Higher Education, Himachal Pradesh, Shimla-1 is hereby requested to upload the letter on Departmental Website.
4. Guard file.

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल

11 DEC 2019

Joint Director of Higher Education (C)
Himachal Pradesh,Shimla-01

DHE
06 DEC 2019
General

हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संख्या आर. डी. –एफ– (4)–1/2018–लूज शिमला –2 27 नबम्वर, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, राज्य स्तरीय जनमंच के आयोजन हेतू अनुबन्ध "क" पर संलग्न रूपरेखा तत्काल प्रभाव से निर्धारित करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है

आदेशानुसार

डा0 आर0 एन0 बत्ता
सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्टांकन संख्या यथोपरि दिनांक शिमला –2 27 नबम्वर, 2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश शिमला –2.
2. समस्त निजी सचिव, माननीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश शिमला –2.
3. निजी सचिव, माननीय चीफ विप, हिमाचल प्रदेश शिमला –2.
4 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हिमाचल प्रदेश शिमला –2.
5. विशेष सचिव,माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश शिमला –2
6 निदेशक, समस्त विभाग, हिमाचल प्रदेश।
7. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, कुसूम्पट्टी शिमला–9.
8. निदेशक, सूचना प्रौधोगिकी विभाग, आई.टी. भवन मैहली शिमला–171013.
9 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एंव एस.आई.ओ.,राष्टीय सूचना केन्द्र शिमला–2.
10 समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
11 रक्षक नस्ति

Smt. Sumita Vashisht

Bansal 27/11/19
(मंजीत बंसल)
अवर सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष न0 177–2627810

अनुबन्ध "क

राज्य स्तरीय जनमंच

राज्य स्तरीय जन मंच की रूपरेखाः—

जिला स्तरीय जन मंच का आयोजन पहले भी विधानसभा क्षेत्रवार सभी जिलों में किया जा रहा है तथा इस दौरान न केवल शिकायतों का समाधान किया जा रहा है परन्तु विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर जनता को दिया जा रहा है व अन्य भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी प्रदर्शनी का आयोजन करके दी जा रही है। अब तक हुये 16 जन मंचों के परिणाम काफी उत्साहजनक है तथा 90 प्रतिशत शिकायतों का निवारण किया जा रहा है और लगभग 80 प्रतिशत मांगों का भी निपटारा किया जा चुका है।

क्योंकि एक जन मंच इस रूपरेखा में पहले से ही चल रहा है इसलिये माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाये जा रहे जन मंच की रूपरेखा अलग तौर पर अपनाई जा रही है ताकि जिला स्तरीय जन मंच के कार्य में कोई विघन न हो।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाये जाने वाले जन मंच को 3 खंण्डों में विभक्त किया गया है जो निम्न प्रकार से हैः—

1. जिले में कार्यान्वयन की जाने वाली मुख्य निर्माण एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा।
2. जन प्रतिनिधि जिसमें कि माननीय लोकसभा सदस्य, माननीय विधानसभा सदस्य और शहरी एवं ग्रामीण निजि निकायों के चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा दी गई शिकायतें एवं सुझाव।
3. जन साधारण द्वारा सरकार के सेवा प्रदान पर दिये गये विचार।

उपरोक्त तीनों के अन्तर्गत विस्तृत कार्य योजना इस प्रकार रखीः—

1. जिले में कार्यान्वयन की जाने वाली मुख्य निर्माण एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षाः

इस खण्ड के अन्तर्गत समस्त उपायुक्त महोदयों से उनके जिला में चल रहे मुख्य निर्माण एवं कल्याणकारी योजनाओं की एक सूचि प्राप्त की जायेगी तथा इस सूची पर जिला में किये जा रहे कार्य का अवलोकन किया जायेगा। इस खण्ड के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के सभी विभागों के द्वारा कार्यान्वयन की जा रही योजनायें जिन्हें कि उपायुक्त महोदय एवं अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा हेतु दिया जायेगा।

इसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जायेगा। आरम्भ में यह सूचि उपायुक्त अपने आप व स्थानीय विधानसभा सदस्य एवं लोकसभा सदस्यों के माध्यम से तैयार करेंगे परन्तु जैसे जैसे जन मंच का कार्य आगे बढ़ता जायेगा जन प्रतिनिधि की प्राथमिकता को देखते हुये इस सूचि में अन्य योजनायें भी भामिल की जा सकती है। इस समीक्षा के दौरान प्रमुख विभागों के विभागाध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे तथा जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री उपयुक्त समझे उन सचिवों को भी बुलाया जा सकता है। इस चर्चा के दौरान जिला के सभी अधिकारीगण, विधानसभा सदस्य एवं लोकसभा सदस्य हाजिर रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योजनाओं के कार्यान्वयन में आवश्यक आदेश पारित करेंगे तथा ऐसी सभी योजनाओं की निगरानी राज्य स्तर पर एक साफटवेयर बनाकर की जायेगी। इस समीक्षा के अन्तर्गत जिला में हुये जन मंचों की शिकायत निवारण व मुख्यमंत्री हैल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का निवारण, की भी समीक्षा की जायेगी।

2. जन प्रतिनिधि जिसमें कि माननीय लोकसभा सदस्य, माननीय विधानसभा सदस्य और शहरी एवं ग्रामीण निजि निकायों के चुने गये प्रतिनिधि द्वारा दी गई शिकायतें एवं सुझावः—

योजनायों सम्बन्धी समीक्षा बैठक के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों से बैठके करेंगे इस दौरान चुने हुये प्रतिनिधि जिनके द्वारा अपनी शिकायतें पहले ही विभाग द्वारा बनाये गये एक साफटवेयर में दर्ज कर दी गयी हो को चयनित कर माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष बोलने का मौका दिया जायेगा। जिन जिलों में ऐसे जन प्रतिनिधियों की संख्या 400 से अधिक है वहां एक से अधिक राज्य स्तरीय जन मंच का आयोजन किया जा सके। इन समस्याओं के अनावरण हेतु भी एक साफटवेयर तैयार कर निगरानी की जायेगी।

3. जन साधारण द्वारा सरकार के सेवा प्रदान पर दिये गये विचार।

विभाग एक विशेष ऐप तैयार करके जिसके माध्यम से जनता सरकार से अकांक्षाओं का विवरण लिया जायेगा तथा इसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस साफट्वेयर में जो भी सूचना उपलब्ध होगी वह जन साधारण के साथ शेयर नही की जायेगी तथा इस डेटाबेस की पहुंच केवल सचिव ग्रामीण विकास व प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के पास उपलब्ध होगी। इसके आधार पर आगामी नीति निर्धारण के कार्य हेतु सचिव, ग्रामीण विकास कार्यवाही करेंगे।

स्थानः—

राज्य स्तरीय जन मंच के स्थान का चयन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जायेगा तथा इस आयोजन की तिथि से एक माह पहले घोषित कर दिया जायेगा। राज्य स्तरीय जन मंच के दौरान भी अन्य जन मंचों की पद्धति पर चाय एवं भोजन की व्यवस्था की जायेगी।

****